सोशल मीडिया उपयोक्ताओं के प्रोफाइल आधार से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं : सरकार

नई दिल्ली, 5 फरवरी (भाषा)।

सरकार ने बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया उपयोक्ताओं के प्रोफाइल को आधार से जोड़ने का कोई का प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में गौरव गोगोई, सुनील बाबू राव मेंढे और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक सवालों के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बड़ी समस्या है और सरकार इससे सख्ती से निपट रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार से कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सदन में चर्चा कराई जाए। इस पर प्रसाद और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सहमति जताई।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गोलीबारी करने वाले किशोर के फेसबुक खाते से संबंधित पूरक सवाल पर प्रसाद ने कहा कि जो मामला पुलिस की जांच के दायरे में है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। प्रसाद ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वैश्विक स्तर की एक बड़ी समस्या है और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। सरकार ने इसको लेकर कई कदम उठाए हैं।

बिजनौर से पीएफआइ का एक और कार्यकर्ता गिरफ्तार

बिजनौर, 5 फरवरी (भाषा)।

बिजनौर में पुलिस ने हिंसा भड़काने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में पीएफआइ के एक और कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। इससे पहले क्षेत्र से चार पीएफआइ सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं।

एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर पीएफआइ के सदस्य शोएब निवासी बिजनौर जुलाहान को गिरफ्तार किया है। शोएब 20 दिसंबर को सीएए के विरोध में कराई गई हिंसा व आगजनी के मुख्य साजिशकर्ताओं से लगातार संपर्क में था और पीएफआइ के लिए की जा रही धन की आपूर्ति से भी जुड़ा था। पुलिस के अनुसार शोएब 2017 से ही पीएफआइ के लिए काम कर रहा था और इसने काजीपाड़ा मोहल्ले में भड़काऊ पोस्टर भी लगाए थे।

मराठा आरक्षण : बंबई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा एवं नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र के एक कानून को बरकरार रखने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित रहा है और इसमें विस्तृत सुनवाई जरूरी है।

पीठ ने मराठा आरक्षण के समर्थन एवं विरोध में दायर कई याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की। जजों ने कहा– हम 17 मार्च की तारीख तय कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सके। हम यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी स्थगन की अनुमति नहीं होगी। इसके समर्थन और विरोध में सभी जवाब अगली सुनवाई की तारीख से पहले दायर कर दिए जाएं।

मराठों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाले कुछ याचियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुनवाई शुरू होते ही कहा कि राज्य निर्धारित सीमा से हटकर ऐसा आरक्षण नहीं दे सकता। उन्होंने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया जिसमें कुछ संशोधनों के साथ मराठों को आरक्षण देने वाले राज्य के कानून को बरकरार रखा गया था।

पीठ ने बुधवार को कहा कि वह मामले के गुण–दोष के आधार पर सुनवाई नहीं करेगा और इस संबंध में कोई भी अंतरिम राहत देने के लिए उसे विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस संबंध में पहले से ही एक आदेश पारित किया है कि जो भी नियुक्तियां की गई हैं वे याचियों के नतीजों पर निर्भर करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला काफी समय से लंबित है और इसमें विस्तृत सुनवाई जरूरी है।

शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई, 2019 को शिक्षा और नौकरियों में मराठाओं को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र के कानून की संवैधानिक वैधता के परीक्षण का फैसला किया। हालांकि, उसने कुछ संशोधनों के साथ कानून को बरकरार रखने के बंबई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि 2014 से पूर्व प्रभाव के साथ आरक्षण की अनुमति के हाई कोर्ट के फैसले के पहलू लागू नहीं होंगे।

एक वकील ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने करीब 70,000 रिक्तियों के लिए 2014 से ही आरक्षण को प्रभावी करने का आदेश दिया है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा– हम यह स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण पर हाई कोर्ट का आदेश पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 नौकरियों एवं दाखिलों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था।

कोरोना वायरस के संदेह में दो मरीज अस्पताल में भर्ती

इंदौर, 5 फरवरी (भाषा)। चीन से हाल ही में लौटे दो वर्षीय बालक समेत दो मरीजों को कोरोना वायरस संक्रमण के संदेह में बुधवार सुबह यहां एक सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया।

SKYLINE INDIA LIMITED
Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110
CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday 13th February 2020, at 02:00 P.M. at the registered office of the company inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review report of the Company for the Quarter ended December 31, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.skylineindia.co.in and may also be accessed on the Stock Exchange websites at https://www.msei.in Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" which would end 48 hours after the results are made public on 13th February 2020.

For Skyline India Limited
Sd/-
(Dinesh Kumar Shindi)
Place: Delhi
Date: 05.02.2020
Company Secretary & Compliance Officer

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : सदर बाजार मेरठ कैंट उ0प्र0 –250001
समाधान, वसूली एवं विधि समूह, मेरठ –495/1, आरपीजी टॉवर, मंगल पाडेय नगर, मेरठ, फोन नं0 0121–4011928–12

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद् द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मेरठ कैन्ट शाखा** के प्रभारों के अधीन होगा। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि	पजेशन की तिथि
ऋणी: मौहम्मद रईस अहमद पुत्र जफरूद्दीन पता 1: मकान नं0 21 (पुराना) नया नं0 22, मौहल्ला पुरवा हामिद हुसेन, केसर गंज मंडी के सामने, मेरठ पिन–250001 गारन्टर: सुन्दर लाल वर्मा, पताः मकान नं0 260, आनन्दपुरी रेलवे रोड, मेरठ पिन–250001	बंधक एक आवासीय मकान नं0 21 (पुराना) नया नं0 22, माप 33.44 वर्ग मीटर यानि 40.00 वर्ग गज, स्थित मौहल्ला पुरवा हामिद हुसेन, केसर गंज मंडी के सामने, मेरठ पिन–250001, सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद रईस अहमद पुत्र जफरूद्दीन, सीमायें:-पूर्वः 10'2–अय्यूब का मकान, पश्चिमः 10'3 रोड 10 फीट चौड़ी, उत्तरः 36'6–श्रीमती रेखा का मकान, दक्षिणः 34'10–सूरज भान का मकान	02.12.2019	रू0 4,26,089.72 दिनांक 30.11.2019 को + ब्याज एंव अन्य खर्चे दिनांक 01.12.2019 से	05.02.2020

दिनांक–05.02.2020 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड
CIN: L74993UP1990PLC015721
पंजी. कार्यालयः 10.5 कि.मी. माईलस्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर–244901
वेबसाईटः www.indiantoners.com, ई–मेलः info@indiantoners.com, फोनः 011–45017000

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए स्टैण्डएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में यदि वह अन्य रूप में कथित नहीं हो)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्ड एलान						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
		31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित., 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2018 (अनंकेक्षित)	2019 (अंकेक्षित)	31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित., 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2018 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2019 (अनंकेक्षित)	31 दिस. 2018 (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से आय	2,217.25	2,469.97	2,676.31	7,017.50	8,548.47	11,548.08	2,240.95	2,541.07	2,642.53	7,070.86	8,499.46	11,528.67
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	389.06	446.16	715.76	1,192.37	1,864.48	2,547.51	373.37	436.85	706.81	1,156.34	1,835.14	2,499.23
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	389.06	446.16	678.17	1,192.37	1,826.89	2516.83	373.37	436.85	669.22	1,156.34	1,797.55	2,468.55
4.	कर तथा असाधारण मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	283.14	374.56	544.06	940.30	1,574.90	2,041.50	267.46	365.25	535.13	904.28	1,545.57	1,993.22
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद)/ लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल	278.02	368.33	541.64	923.26	1,566.28	2,019.24	262.88	360.64	531.31	890.27	1,535.52	1,971.99
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16	1,316.16
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/– प्रति का)												
	क) मूल (रु.)	2.15	2.85	4.13	7.14	11.97	15.51	2.03	2.78	4.07	6.87	11.74	15.14
	ख) तरल (रु.)	2.15	2.85	4.13	7.14	11.97	15.51	2.03	2.78	4.07	6.87	11.74	15.14

टिप्पणीः
1. उक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों, कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थे,की ऑडिट कमिटी द्वारा उसकी समीक्षा की गई तथा 4 फरवरी 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाईट www.indiantoners.com के निवेशक खंड के अंतर्गत तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(सुशील जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 00323952
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 4 फरवरी, 2020

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
JINDAL STAINLESS
CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125 005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
ई-मेल आईडी : investorcare@jindalstainless.com, वेबसाइट : www.jslstainless.com

सूचना

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के रेग्युलेशन 29 के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक **मंगलवार, 11 फरवरी, 2020** को दिल्ली में कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में होगी, जिसमें **31 दिसम्बर, 2019** को समाप्त हुई तृतीय तिमाही व नौमाही के वित्तीय खातों का आंकलन किया जाएगा।
यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.jslstainless.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.nseindia.com** व **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 4 फरवरी, 2020

DA-3
IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)
CS(COMM) NO. 1015/2016
Jasdeep Kaur Chadha & Ors... Plaintiffs
Versus
Rajinder Singh Chadha & Ors... Defendants
To,
Defendant No.4, Ms. Prakash Kaur (Since deceased) Through Legal Heir :-
4(d) Smt. Jagjeet Kaur Sethi, W/o Inder Pal Singh Sethi,
D-91, Sector-47, Noida- 201301, U.P.
WHEREAS the above named plaintiffs has instituted a suit **for declaration, cancellation, injunction, damages and rendition of accounts and other reliefs** against the above name defendant and whereas it has been shown to the satisfaction of the Court that is is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you, the above named L.R. No. 4(d) to make appearance before the Court of **Ld. Joint Registrar (Judicial)** on **26th** day of **February, 2020 at 11.00 a.m.**
Take notice that in default of your appearance on the day mentioned above, the suit will be heard and determined in your absence.
Given under my hand and the seal of the Court, this 31st Day of January, 2020.
Assistant Registrar (O)
For Registrar General (AP)

आईओ सिस्टम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए एवं 19बी, सेक्टर–125, नोएडा, उ.प्र.–201301
सीआईएनः L65921UP1987PLC008764
वेबसाइटः www.iosystem.co.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के सन्दर्भ में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा रिकार्ड पर लेने हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को 11.45 बजे पूर्वा. कॉन्फ्रेंस रूम, (अपर बेसमेंट), स्मार्ट भारत माल, 1–2, सेक्टर–25ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 पर आयोजित की जायेगी। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.iosystem.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.bseindia.com/ पर उपलब्ध है।

कृते आईओ सिस्टम लिमिटेड
ह./–
दिनकर शर्मा
कम्पनी सचिव
स्थानः नोएडा एवं अनुपालन अधिकारी
दिनांक : 05.02.2020 एम. सं.: F7383

UFLEX
'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानोट कॉर्नर, पाम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाइट : www.uflexltd.com
इमेल : secretarial@uflexltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक वीरवार, 13 फरवरी, 2020 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी–001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई–6, सेक्टर–61, नोएडा–201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.02.2020

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(A Government of India Enterprise)
बीएल SINCE 1867
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
पंजीकृत कार्यालय : 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकता - 700 001
फोन - (033)22225313, फैक्स - (033)22225292, ई-मेल - bhavsar.k@balmerlawrie.com, वेबसाइट - www.balmerlawrie.com
सीआईएनः L15492WB1924GOI004835

(रु. लाख में)

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

क्रम संख्या	विवरण	स्टैंडअलोन						समेकित					
		31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में	30 सितंबर 2019 को पिछली तिमाही में	पूर्व वर्ष में 31 दिसंबर 2018 को समाप्त 3 माह में	31 दिसंबर 2019 को समाप्त चालू अवधि के लिए वर्ष से तिथि तक के आंकड़े	31 दिसंबर 2018 को समाप्त पिछली अवधि के लिए वर्ष से तिथि तक के आंकड़े	31 मार्च 2019 को समाप्त पूर्व वर्ष में	31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में	30 सितंबर 2019 को पिछली तिमाही में	पूर्व वर्ष में 31 दिसंबर 2018 को समाप्त 3 माह में	31 दिसंबर 2019 को समाप्त चालू अवधि के लिए वर्ष से तिथि तक के आंकड़े	31 दिसंबर 2018 को समाप्त पिछली अवधि के लिए वर्ष से तिथि तक के आंकड़े	31 मार्च 2019 को समाप्त पूर्व वर्ष में
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(परीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(परीक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय	38166.64	40361.28	40238.57	122610.27	133788.76	185672.35	38331.38	39666.57	41004.15	122130.68	133832.82	183300.10
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं असाधारण मदों से पूर्व)	4505.62	4506.74	4437.38	13522.87	15513.53	28010.48	4139.70	3375.66	5186.84	11480.72	15510.70	24657.21
3	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं असाधारण मद उपरांत)	4505.62	4506.74	4437.38	13522.87	15513.53	28010.48	4139.70	3375.66	5186.84	11480.72	15510.70	24657.21
4	अवधि के लिए कर उपरांत शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं असाधारण मदों के बाद)	3584.36	3830.97	2690.38	10224.43	10022.00	18850.18	3218.40	2699.18	3437.54	8180.81	10010.59	16110.50
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) सहित]	3584.36	3830.97	2690.38	10224.43	10022.00	18247.98	4161.04	3726.45	3918.20	10922.90	12358.21	19042.32
6	इक्विटी शेयर पूंजी	17100.38	11400.25	11400.25	17100.38	11400.25	11400.25	17100.38	11400.25	11400.25	17100.38	11400.25	11400.25
7	रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दिखाये अनुसार						118620.19						140208.82
8	प्रति शेयर आय (10/- रु. प्रत्येक)(जारी और बंद प्रचालनों से(रु. में)(वार्षिकृत नहीं)												
	1. मूलः	2.10	2.24	1.57	5.98	5.86	10.67	2.43	2.18	2.29	6.39	7.23	11.14
	2. मिश्रित	2.10	2.24	1.57	5.98	5.86	10.67	2.43	2.18	2.29	6.39	7.23	11.14

टिप्पणीः-
1) उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की पुनरीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई थी तथा इसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था। सेबी (दायित्व सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम,2015 के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उक्त वित्तीय परिणामों की 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष के वित्तीय परिणामों की सीमित पुनरीक्षा की गई है।
2) कम्पनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2019 के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से भारतीय लेखांकन मानक 116 ''पट्टे'' को अंगीकार किया है। कम्पनी द्वारा संशोधित पूर्वप्रभावी एप्रोच को अपनाया गया है। तदनुसार, इस अंगीकार के परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान कर पूर्व लाभ में 105.04 लाख रुपए की कमी हुई है।
3) भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसार आय कर अधिनियम,1961 के खंड 115बीएए के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी न्यूनतर कर दर में परिवर्तन के विकल्प का चयन किया गया है जो उसके परिणामी नियत कर प्रोत्साहनों में कटौति के साथ तथा नियत शर्तों के अध्याधीन है। कम्पनी द्वारा इन प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है तथा इस विकल्प का उपयोग पिछली तिमाही से पहले से ही कर लिया है।
4) शेयरधारकों से पोस्टल बैलट के माध्यम से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी के शेयरधारकों / लाभग्राही स्वामियों द्वारा धारित प्रत्येक दो विद्यमान इक्विटी शेयरों के प्रति आनुपातिक रूप में एक नए इक्विटी शेयर के लिए 5,70,01,282 बोनस शेयरों के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार, 5,700.13 लाख रूपए की राशि का पूंजीयन करके 30 दिसम्बर, 2019 को इसे पूर्ण चुकता बोनस शेयरों के आबंटन के प्रति सामान्य रिजर्व में से इक्विटी शेयर पूंजी खाते में अंतरित किया गया है। सभी अवधियों के लिए प्रति शेयर आय का समायोजन बोनस शेयर इश्यू के लिए कर लिया गया है।
5) माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्युनल (एनसीएलटी), कोलकाता शाखा द्वारा ''दिवाला एवं बैंकशोधन अक्षमता संहिता, 2016'' (आईबी कोड) के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ट्रांसेफ सर्विसेज लिमिटेड (टीएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम के मामले में दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से 'कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया' (सीआईआरपी) प्रारंभ की गई है। दिवालियापन समाधान व्यावसायिक (आईआरपी) के निदेश के अनुसरण में टीएसएल के निदेशक मंडल की शक्तियां दिवाला एवं बैंकशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबी कोड) के खंड 17 के अंतर्गत आदेश जारी किए जाने की तिथि से निलम्बित हो गई हैं तथा इन शक्तियों का उपयोग अब राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त दिवालियापन समाधान व्यावसायिक (आईआरपी) द्वारा किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, बामर लॉरी एंड कम्पनी (बीएल) का संयुक्त नियंत्रण स्थगित हो गया है अथवा टीएसएल पर अब कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) के अनुसरण में टीएसएल के वित्तीय विवरणों को छोड़कर समूह से संबंधित 31 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। तथापि, जिन अवधियों के दौरान बामर लॉरी का टीएसएल पर उपयोज्य नियंत्रण था उन अवधियों से संबंधित टीएसएल के समेकित डेटा को संबद्धता के अनुसार शामिल किया गया है। टीएसएल से प्राप्य बकाया राशियों लेखा बहियों में प्रभारित किया गया है।
6) जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हुई है वहां पूर्वावधि / वर्षों के आंकड़ों का पुनःसमूहन / पुनःव्यवस्थापन / पुनःवर्गीकृत किया गया है। पूर्व वर्ष / अवधियों के लाभ एवं हानि का पुनःसमूहन / पुनःनिर्धारण भारतीय लेखांकन मानक 28 (सम्बद्ध एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश) के पैरा 10 के अनुसार मिलान की उत्तम प्रस्तुति के लिए किया गया है, समेकित लाभ एवं हानि विवरण में निवेशी के लाभ अथवा हानि की स्वीकृति निवेशक के लाभ अथवा हानि के रूप में अलग लाइन मद में की गई है। तथापि, इससे लेखा बहियों पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव नहीं हुआ है।
7) उपर्युक्त सेबी (दायित्व सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम,2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों में फाइल किए गए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। स्टैंडएलोन एवं समेकित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टाक एक्सचेंज वेबसाइट (**www.nseindia.com**) तथा (**www.bseindia.com**) पर तथा कम्पनी की वेबसाइट (**www.balmerlawrie.com**) पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल की ओर से
(एस. एस. खुंटिया)
निदेशक(वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन : 07475677
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04 फरवरी, 2020

Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Balmer Lawrie INDUSTRIAL PACKAGING | Balmerol LUBRICANTS | BALMOL | Balmer Lawrie TRAVEL & VACATIONS | Vacations Exotica | FlyLikeKing | Balmer Lawrie LOGISTICS | Balmer Lawrie REFINERY & OIL FIELD SERVICES

www.readwhere.com